

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 21-3-2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 27,52,94,000/- (सत्ताईस करोड़ बावन लाख चौरानवे हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के विभिन्न विषय शीर्षों के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 27,52,94,000/- (सत्ताईस करोड़ बावन लाख चौरानवे हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन क्ति विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय क्ति विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों एवं तत्काल कार्यपालक सहायकों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 27,52,94,000/- (सत्ताईस करोड़ बावन लाख चौरानवे हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,


उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के विभिन्न विषय शीर्षों के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 27,52,94,000/- (सत्ताईस करोड़ बावन लाख चौरानवे हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन क्ति विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय क्ति विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों एवं तत्काल कार्यपालक सहायकों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार क्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-04/2016 सा०-.....19...../ पटना, दिनांक-24-3-2017
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

क्र० सं०	जिला का नाम	शिक्षिता प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	योग-वेतन एवं मत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	
	कूट संख्या -	06 01	11 01	13 01	13 02	13 03	13 04	
1	पटना	2,00,000	35,000	100,00,000	100,00,000	8,50,000	100,00,000	310,85,000
2	मोजपुर	50,000	1,50,000	27,00,000	27,00,000	2,38,000	10,00,000	68,38,000
3	बक्सर	50,000	25,000	20,00,000	15,00,000	70,000	17,00,000	53,45,000
4	कैमूर(ममुआ)	30,000	1,00,000	22,00,000	17,00,000	3,00,000	12,00,000	55,30,000
5	औरंगाबाद	50,000	30,000	22,00,000	17,00,000	70,000	22,00,000	62,50,000
6	मुजफ्फरपुर	50,000	35,000	32,00,000	27,00,000	2,00,000	32,00,000	93,85,000
7	सीतामढ़ी	50,000	25,000	22,00,000	12,00,000	2,00,000	20,00,000	56,75,000
8	पूँचम्यारण	50,000	30,000	22,00,000	20,00,000	2,00,000	22,00,000	66,80,000
9	पञ्चम्यारण	50,000	30,000	22,00,000	20,00,000	2,00,000	22,00,000	66,80,000
10	शिवहर	50,000	20,000	12,00,000	12,00,000	70,000	17,00,000	42,40,000
11	वैशाली	50,000	20,000	15,00,000	15,00,000	70,000	16,00,000	47,40,000
12	दरभंगा	50,000	35,000	22,00,000	20,00,000	70,000	20,00,000	63,55,000
13	मधुबनी	50,000	35,000	22,00,000	19,00,000	1,35,000	20,00,000	63,20,000
14	समस्तीपुर	50,000	30,000	15,00,000	15,00,000	1,35,000	16,00,000	48,15,000
15	सारण	50,000	25,000	20,00,000	19,00,000	70,000	20,00,000	60,45,000
16	सिवान	12,000	4,00,000	17,00,000	17,00,000	3,38,000	18,00,000	59,50,000
17	गोपालगंज	50,000	25,000	17,00,000	17,00,000	1,00,000	18,00,000	53,75,000
18	भागलपुर	50,000	30,000	22,00,000	17,00,000	1,00,000	18,00,000	58,80,000
19	बांका	25,000	20,000	12,00,000	12,00,000	1,00,000	13,00,000	38,45,000
20	मुंगेर	50,000	30,000	12,00,000	12,00,000	1,00,000	13,00,000	38,80,000
21	लखीसराय	25,000	20,000	12,00,000	12,00,000	1,63,000	10,00,000	36,08,000
22	जमुई	25,000	20,000	13,00,000	13,00,000	50,000	10,00,000	36,95,000
23	खगड़िया	50,000	25,000	17,00,000	15,00,000	1,50,000	16,00,000	50,25,000
24	बेगूसराय	50,000	25,000	17,00,000	14,00,000	1,50,000	15,00,000	48,25,000
25	पूँर्णिया	2,50,000	30,000	27,00,000	19,00,000	6,32,000	10,00,000	65,12,000
26	कटिहार	25,000	2,50,000	15,00,000	15,00,000	2,00,000	16,00,000	50,75,000
27	अररिया	25,000	20,000	13,00,000	13,00,000	70,000	14,00,000	41,15,000
28	किशनगंज	25,000	20,000	13,00,000	12,00,000	70,000	14,00,000	40,15,000
29	सहरसा	50,000	25,000	22,00,000	16,00,000	1,50,000	18,00,000	58,25,000
30	मधेपुरा	30,000	15,000	17,00,000	14,00,000	1,00,000	16,00,000	48,45,000
31	सुपौल	40,000	25,000	17,00,000	14,00,000	1,50,000	16,00,000	49,15,000
32	रोहतास	40,000	25,000	22,00,000	16,00,000	1,50,000	18,00,000	58,15,000
33	नालन्दा	50,000	25,000	22,00,000	6,00,000	2,00,000	18,00,000	48,75,000
34	गया	50,000	30,000	42,00,000	26,00,000	2,00,000	28,00,000	98,80,000
35	नवादा	30,000	25,000	17,00,000	16,00,000	70,000	18,00,000	52,25,000
36	जहानाबाद	30,000	20,000	17,00,000	13,00,000	69,000	15,00,000	46,19,000
37	अरवल	25,000	20,000	17,00,000	14,00,000	1,60,000	20,00,000	53,05,000
38	शेखपुरा	25,000	20,000	14,00,000	11,00,000	50,000	10,00,000	35,95,000
	कुल योग -	19,12,000	17,70,000	809,00,000	689,00,000	64,00,000	728,00,000	2326,82,000

आवंटन:-

क्र० सं०	जिला का नाम	वर्दी/पोशाक	किराया, महसूल एवं कर	आतिथ्य व्यय	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	प्रशिक्षण व्यय	सामग्री एवं पूर्तियाँ	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	कुल
	कूट संख्या -	13 06	14 01	20 01	20 02	20 03	21 01	28 01	
		9	10	11	12	13	14	15	16
1	पटना	4,00,000	9,00,000	7,00,000	2,50,000	5,00,000	13,00,000	5,00,000	356,35,000
2	भोजपुर	50,000	3,00,000	5,00,000	2,00,000	0	5,00,000	3,00,000	86,88,000
3	बक्सर	50,000	2,50,000	5,00,000	2,00,000	0	2,00,000	3,00,000	68,45,000
4	कैमूर(मधुआ)	45,000	2,50,000	3,00,000	1,50,000	0	2,75,000	3,00,000	68,50,000
5	औरंगाबाद	50,000	3,50,000	3,00,000	1,50,000	0	2,75,000	3,00,000	76,75,000
6	मुजफ्फरपुर	1,00,000	3,50,000	4,00,000	2,00,000	50,000	2,00,000	0	106,85,000
7	सीतामढ़ी	50,000	3,00,000	2,00,000	1,00,000	0	2,75,000	3,00,000	69,00,000
8	पूंचम्पारण	50,000	3,00,000	5,00,000	2,50,000	0	1,00,000	0	78,80,000
9	पुंचम्पारण	50,000	3,00,000	5,00,000	2,50,000	0	1,00,000	0	78,80,000
10	शिवहर	50,000	2,80,000	1,00,000	50,000	0	1,50,000	0	48,70,000
11	वैशाली	50,000	2,80,000	5,00,000	2,00,000	0	1,00,000	0	58,70,000
12	दरभंगा	1,00,000	3,50,000	3,00,000	1,50,000	50,000	1,00,000	2,00,000	76,05,000
13	मधुबनी	1,00,000	2,50,000	3,00,000	1,50,000	0	1,00,000	0	72,20,000
14	समस्तीपुर	50,000	3,50,000	1,00,000	50,000	0	1,90,000	0	55,55,000
15	सारण	1,00,000	3,00,000	2,00,000	1,00,000	50,000	2,40,000	5,00,000	75,35,000
16	सिवान	1,00,000	2,75,000	1,00,000	50,000	0	5,00,000	3,00,000	72,75,000
17	गोपालगंज	50,000	3,00,000	1,00,000	50,000	0	2,15,000	5,00,000	65,90,000
18	भागलपुर	1,00,000	4,00,000	2,00,000	1,00,000	50,000	2,75,000	0	70,05,000
19	बांका	50,000	2,50,000	1,00,000	50,000	0	1,50,000	0	44,45,000
20	मुंगेर	1,00,000	2,50,000	2,00,000	1,00,000	50,000	1,50,000	2,00,000	49,30,000
21	लखीसराय	42,000	2,80,000	50,000	25,000	0	1,50,000	50,000	42,05,000
22	जमुई	30,000	3,00,000	50,000	25,000	0	5,00,000	0	46,00,000
23	खगड़िया	50,000	3,00,000	50,000	25,000	0	2,10,000	0	56,60,000
24	बेगूसराय	50,000	3,55,000	75,000	35,000	0	2,10,000	2,00,000	57,50,000
25	पूर्णिया	1,60,000	6,00,000	1,00,000	50,000	50,000	5,00,000	3,00,000	82,72,000
26	कटिहार	50,000	2,80,000	50,000	25,000	0	1,90,000	0	56,70,000
27	अररिया	50,000	2,50,000	50,000	25,000	0	1,60,000	3,00,000	49,50,000
28	किशनगंज	50,000	2,50,000	50,000	25,000	0	1,60,000	0	45,50,000
29	सहरसा	50,000	4,00,000	3,00,000	1,00,000	50,000	1,50,000	0	68,75,000
30	मधेपुरा	50,000	2,50,000	50,000	25,000	0	1,00,000	0	53,20,000
31	सुपौल	50,000	3,00,000	1,00,000	50,000	0	1,50,000	0	55,65,000
32	रोहतास	50,000	3,00,000	3,00,000	1,00,000	0	2,00,000	0	67,65,000
33	नालन्दा	50,000	3,50,000	5,00,000	2,00,000	0	1,00,000	0	60,75,000
34	गया	50,000	5,00,000	5,00,000	2,00,000	50,000	1,50,000	0	113,30,000
35	नवादा	50,000	3,00,000	1,00,000	50,000	0	6,00,000	0	63,25,000
36	जहानाबाद	50,000	3,00,000	50,000	25,000	0	1,50,000	0	51,94,000
37	अरवल	50,000	3,00,000	50,000	25,000	0	2,00,000	2,00,000	61,30,000
38	शेखपुरा	50,000	3,00,000	50,000	25,000	0	1,00,000	0	41,20,000
	कुल योग -	26,77,000	125,00,000	85,75,000	38,35,000	9,00,000	93,75,000	47,50,000	2752,94,000

(सत्ताईस करोड़ बावन लाख चौरानवे हजार रुपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग